



## e-Stamp



Certificate No.	: IN-UP04167494068710V
Certificate Issued Date:	: 02-Sep-2023 07:04 PM
Account Reference:	: NEWIMPACC1SVI/UP14340704/LALITPUR SADAR/UP-4/TP
Unique Doc. Reference:	: SUBIN-UPUP1434070403963521470148V
Purchased by:	: PAHALWAN GURUDEEN SMARAK SIKSHAN SEVA SANSTHAN
Description of Document:	: Article 4 Affidavit
Property Description:	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party:	: PAHALWAN GURUDEEN SMARAK SIKSHAN SEVA SANSTHAN
Second Party:	: BOARD OF TECHNICAL EDUCATION
Stamp Duty Paid By:	: PAHALWAN GURUDEEN SMARAK SIKSHAN SEVA SANSTHAN
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



## (प्रारूप-'आ')

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इनफॉर्मेशन संख्याओं की सोसाइटी / द्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम सितारा ऐवी प्रबन्धक), एवं सूखनाथ बादम सचिव अध्यक्ष कमश। अध्यक्ष एवं प्रबन्धक महलवान गुलदीन स्मारक शिक्षण सेवा संस्था सोसाइटी ग्राम नखतपुर तहसील शहर जनपद जौनपुर शपथ पूर्वक निम्नवत् घोषन करते हैं—

1. यह कि हमारी सोसाइटी/द्रस्ट द्वारा पी० जी० गुप्त औफ कार्नेज फार्मसी ग्राम नखतपुर तहसील शहर जनपद जौनपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मेशन संस्थान की रजापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी/द्रस्ट के नाम ग्राम नखतपुर तहसील शहर जनपद जौनपुर में गाठा संख्या 360 एवं 360 एकड़ा कमश। 405 हॉल एवं 405 हैमटेयर (कुल एकड़ा 0.810 हैमटेयर) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि यह कि निम्नी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी व्यावालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह है कि उपरोक्त पत्र पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाठा संख्या गाठा संख्या 360 एवं 360 एकड़ा कमश। 405 हॉल एवं 405 हैमटेयर (कुल एकड़ा 0.810 हैमटेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेशन संस्थान की रजापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / द्रस्ट की मैठक दिनांक 16.02.2022 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि यह ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण उन्मोदित नवीकरण के अनुसार किया गया है।

6. यह कि निरीक्षण समिति के तामस उपरोक्त पत्र पर सोसाइटी / द्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के तामस निरीक्षण हेतु

प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेशन काउन्सिल औफ इंडिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान एवं ही संचालन किया जायेगा।

सितारा

सितारा

1. इस निम्नाख्याती के नियमों के अंतर्गत निरीक्षण के लिए उपरोक्त भूमि का निरीक्षण करने के लिए उपरोक्त नियमों को उपलब्ध कराया जाएगा। 2. इस नियमों के अंतर्गत उपरोक्त भूमि का निरीक्षण करने के लिए उपरोक्त नियमों को उपलब्ध कराया जाएगा। 3. इस नियमों के अंतर्गत उपरोक्त भूमि का निरीक्षण करने के लिए उपरोक्त नियमों को उपलब्ध कराया जाएगा। 4. इस नियमों के अंतर्गत उपरोक्त भूमि का निरीक्षण करने के लिए उपरोक्त नियमों को उपलब्ध कराया जाएगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल औफ डिप्लया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश शांता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल औफ डिप्लया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राधिक शिक्षा परिषद, उ०प० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई०आदि जो संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कलाच रूप, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल औफ डिप्लया, नई दिल्ली एवं प्राधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक रुपाएँ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्मित निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटशर्धित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विलक्षण परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

४० सचिव

सितारा

४० अध्यक्ष

गुरु